न्यायालय उप जिला कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

मामला :– विविध प्रकरण संख्या :– 07/2020

संजय कुमार सहारण पुत्र श्री हरी सिंह सहारण, आयु 46 वर्ष, जाति जाट, निवासी मकान नम्बर 54, के–ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – वादी

–:: बनाम ::–

स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री विनोद कुमार भाटी अधिवक्ता –वादी
2. पैरोकार राज –प्रतिवादी

–:: निर्णय ::– दिनांक :–19.02.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी पूर्व में गांव महियांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में आज से लगभग 21 वर्ष पहले निवासी था, परन्तु पिछले 21 वर्ष से श्रीगंगानगर में मकान नम्बर 54, के–ब्लॉक, श्रीगंगानगर में स्थायी निवास कर रहा है। इसलिये वादी का यह स्थायी निवास है। वादी का काश्तकारी पेशा है। वादी का स्थाई पता वही है जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14(क) के अनुसार वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र दो प्रतियों में पेश है तथा वाद के समर्थन में वादी का शपथ पत्र भी संलग्न है। वादी के नाम गांव महियांवाली (चक 22–एल. एल.), पटवार हल्का बख्तांवाली (चक 19–एम.एल.) के खाता संख्या 97, मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 24.50 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 2 ता 8 में कुल 5.85 बीघा, दोनों मुरब्बों में कुल 7.7300 हैक्टेयर अर्थात् 30.5 बीघा नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा वादी इस भूमि का मालिक है एवं फसल काश्त कर रहा है। जमाबन्दी की नकल संलग्न वाद पत्र है। वादी का सही नाम व पता संजय कुमार सहारण पुत्र श्री हरी सिंह सहारण, जाति जाट, निवासी मकान नम्बर 54, के–ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) है। वादी के नाम भारत सरकार द्वारा फोटोयुक्त आधार कार्ड संख्या 2943 3405 .... जारी किया हुआ है जिसमें भी वादी का नाम व पता संजय कुमार सहारण पुत्र श्री हरी सिंह सहारण, जाति जाट, निवासी मकान नम्बर 54, के–ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) दर्ज है तथा वादी के नाम फोटोयुक्त ड्राईविंग लाईसेंस संख्या RJ/13/199300 दिनांक 02.05.2013 को जारी किया हुआ है तथा आयकर विभाग द्वारा वादी के नाम फोटोयुक्त पैन कार्ड संख्या APHPS2375A जारी किया हुआ है जिसकी नकल शामिल वाद है। इस प्रकार वादी का सही नाम व पता संजय कुमार सहारण पुत्र श्री हरी सिंह सहारण, जाति जाट, निवासी मकान नम्बर 54, के–ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) है। नकल जमाबन्दी में लिपिकीय भूल अथवा अन्य किसी कारणवश, जैसे Printing mistake के कारण वादी का नाम व पता संजय पुत्र श्री हरी सिंह, जाति जाट, निवासी महियांवाली खातेदार दर्ज हो गया है। वादी अपनी उपरोक्त भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है जिस हेतु वादी, बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ऋण लेना चाहता है जिसके लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर व दिनांक 27.01.2020 को जमाबन्दी की नकल लेने पर वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rathu
Date: 2021.06.04 10:14:02 IST
Reason: SelfAttested

कारण अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाने तथा सरकार द्वारा देय किसान सहायता का लाभ उठाने में असमर्थ हो गया है। इसलिये वादी को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम व पता की दुरुस्ती करवाना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादी से बार–बार आग्रह किया कि वह वादी को उपरोक्त वर्णित गांव महियांवाली (चक 22–एल.एन.पी.), पटवार हल्का बख्तांवाली (चक 19–एम.एल.) के खाता संख्या 97, मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 24.50 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 2 ता 8 में कुल 5.85 बीघा, दोनों मुरब्बों में कुल 7.7300 हैक्टेयर अर्थात् 30.5 बीघा नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार काबिज व हकदार होना मान कर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम व पता संजय पुत्र श्री हरी सिंह, जाति जाट, निवासी महियांवाली के स्थान पर वादी का सही नाम व पता संजय कुमार सहारण पुत्र श्री हरी सिंह सहारण, जाति जाट, निवासी मकान नम्बर 54, के–ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) दर्ज करे, मगर प्रतिवादी ने टालमटोल करते हुए दिनांक 04.02.2020 को स्पष्ट कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, बल्कि उपखण्ड अधिकारी से आदेश लाने पर ही आवश्यक दुरुस्ती आदि की जा सकेगी। अतः यही बिनाए दुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा इन्कार की दिनांक से बिना किसी देरी के उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी, विरुद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार आदेशित एवं आज्ञाप्ति किया जावेः–

(क) यह कि इस अमर की घोषणात्मक अनुतोष की डिक्री वादी के पक्ष में पारित की जावे कि गांव महियांवाली (चक 22–एल.एन.पी.), पटवार हल्का बख्तांवाली (चक 19–एम.एल) के खाता संख्या 97, मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 24.50 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 2 ता 8 में कुल 5.85 बीघा, दोनों मुरब्बों में कुल 7.7300 हैक्टेयर अर्थात् 30.5 बीघा नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार काबिज व हकदार होना मान कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करते हुए वादी का सही नाम व पता संजय कुमार सहारण पुत्र श्री हरी सिंह सहारण, जाति जाट, निवासी मकान नम्बर 54, के–ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व से रिपोर्ट कमांक भू.अ./2020/445 दिनांक 11.02.2020 प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट जमाबंदी में अंकित संजय तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया नाम संजय कुमार सहारण दोनों एक ही वयक्ति के नाम है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 112 पटवार हलका बख्तावाली 19 एमएल गिरदावर सर्किल ...वाला, एवं दस्तावेज आधार कार्ड संख्या 2943 3405 1952, ड्राईविंग लाईसेंस संख्या ...–13/DLC/13/199300, पैन कार्ड संख्या APHPS2375... की फोटो प्रतियां पेश की। इनका अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा ... के स्थान पर संजय कुमार सहारण किये जाने बाबत अपनी रिपोर्ट में कथन किया है ... तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के आधार पर ... भू–राजस्व अधिनियम ... की धारा 136 के अनुसरण में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को चक 19–एम.एल खाता संख्या 97, मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 24.50 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 2 ता 8 में कुल 5.85 बीघा, दोनों मुरब्बों में कुल 7.7300 हैक्टेयर अर्थात् 30.5 बीघा नहरी कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम संजय को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करते हुए संजय के स्थान पर वादी का सही नाम व पता संजय कुमार सहारण पुत्र श्री हरी सिंह सहारण, जाति जाट, निवासी मकान नम्बर 54, के–ब्लॉक, श्रीगंगानगर दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:14:02 IST
Reason: SelfAttested

(प्रार्थना संख्या :–07 / 2020 अनवान संजय बनाम स्टेट)

करने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 19.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:14:02 IST
Reason: SelfAttested